

बिहार सरकार,

कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-12/2016-
प्रेषक,

3118

/क०, पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रभु राम

निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वर्ष 2016-17 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये, कुल 170.00 करोड़ रुपये (एक अरब सत्तर करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति के लिए 34.00 करोड़ (चौत्तीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वर्ष 2016-17 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये, कुल 170.00 करोड़ रुपये (एक अरब सत्तर करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति के लिए 34.00 करोड़ (चौत्तीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में खरीफ मौसम में धान एवं मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। चालू खरीफ मौसम में 34 लाख हेक्टेयर में धान 3.4 लाख हेक्टेयर में धान बिचड़ा तथा 4.75 लाख हेक्टेयर में मक्का आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ मौसम में मॉनसून की किसी प्रकार के आपात कालीन स्थिति उत्पन्न होने पर भरपूर उत्पादन के लिए सिंचाई हेतु डीजल अनुदान का कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा है। धान का बीज गिराने, बीजस्थली में बीचड़ा को बचाने, बीचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गये खड़े फसल की सिंचाई करने एवं मक्का के सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

3. रबी/गरमा मौसम में राज्य में गेहूँ, गर्मा एवं बोरो धान, मक्का(रब्बी एवं गर्मा), दलहन (गर्मा सहित) एवं तेलहनी फसलों का आच्छादन क्रमशः 23.25 लाख हे०, 1.50 लाख हे०, 6.75 लाख हे०, 11.50 लाख हे० एवं 2.00 लाख हे० का लक्ष्य रखा गया है।

4. खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 30 रु० प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 300 रु० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने हेतु 2 सिंचाई के लिए तथा धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों की रोपनी एवं खड़ी फसल हेतु एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 900 रु० प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

5. रबी मौसम में गेहूँ तथा मक्का की खेती सामान्यतः सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। दलहन तथा तेलहन की खेती सिंचित क्षेत्रों के अतिरिक्त असिंचित क्षेत्रों में भी की जाती है। यह अनुमान किया गया है कि दलहन तथा तेलहन के आधे क्षेत्र सिंचित हैं तथा आधे असिंचित हैं।

6. राज्य में सिंचाई की व्यवस्था प्रमुख रूप से डीजल पर आधारित है। डीजल पर आधारित सिंचाई के कारण लागत बढ़ जाता है तथा किसान वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित सिंचाई नहीं दे पाते हैं। सामान्यतः गेहूँ के लिए 3 तथा अन्य रबी फसलों के लिए 2 सिंचाई की जरूरत होती है। परंतु किसान आर्थिक कारणों से गेहूँ तथा मक्का की मात्र एक सिंचाई करते हैं। अन्य रबी फसल पूरी तरह से खेत में उपलब्ध नमी पर आधारित होता है।

7. खरीफ मौसम में अनियमित मॉनसून की स्थिति में रबी फसलों से भरपूर उपज के लिए सिंचाई पर डीजल अनुदान की आवश्यकता पड़ सकता है। किसानों को 1 लीटर डीजल के क्रय पर 30 रुपये की दर से प्रति एकड़ 300 रुपये डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। इस योजना के अधीन गेहूँ के लिए 3 सिंचाई तथा अन्य रबी फसलों के लिए 2 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है।

8. जिलों में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा।

9. यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। नवार्ड फेज 8 में निर्मित राजकीय नलकूप जो किसानों/किसान समितियों के द्वारा परिचालित किए जाते हैं उनके द्वारा भी डीजल क्रय कर सिंचाई करने पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।

10. खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए 30 अक्टूबर, 2016 तक डीजल क्रय करने पर यह अनुदान देय होगा। 15 नवम्बर, 2016 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सत्यापित दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 30 नवम्बर तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

11. रबी फसलों की सिंचाई के लिए 1 नवम्बर, 2016 से 7 मार्च, 2017 तक क्रय किये गये डीजल के विरुद्ध अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। 15 मार्च, 2017 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवा अनिवार्य रूप से सभी दावे प्रखण्ड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखण्ड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 31 मार्च 2017 तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा। इस प्रकार से सभी प्रकार के दावे का भुगतान वित्तीय वर्ष के अधीन सुनिश्चित हो जायेगा।

12. चालू खरीफ तथा रबी मौसम में फसल स्थिति की लगातार समीक्षा की जायेगी। आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रशासी विभाग के द्वारा योजनान्तर्गत किसानों को सहायता प्रदान करने के इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

13. आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर आगामी रबी फसल से भरपूर उत्पादन के लिए डीजल अनुदान की अवधि का विस्तार प्रशासी विभाग द्वारा रबी 2016-17 में गेहूँ की 3 सिंचाई के लिए 900.00 रु० अधिकतम एवं अन्य रबी फसलों के 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 600 रु० प्रति हे० की दर से डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। परंतु व्यय की सीमा योजना में स्वीकृत राशि के अधीन ही होगा।

14. डीजल अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत विशेष के लिए आवेदन लेने/सत्यापन करने हेतु किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा।
- किसान डीजल का क्रय कर अपने खेत की सिंचाई करेंगे। डीजल का क्रय मात्र अधिकृत बिक्रेता से किया जायेगा एवं अधिकृत बिक्रेताओं के द्वारा निर्गत कैंशमेमो ही आवेदन के साथ लगाये जायेंगे। कैंशमेमो के साथ विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में किसान अपना आवेदन किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक को समर्पित करेंगे। किसान पावती रसीद अवश्य रूप से ले लेंगे तथा इसे संरक्षित रखेंगे। आवेदन पत्र में किसान ने जिस खेत की सिंचाई के विरुद्ध डीजल अनुदान का दावा किया है, उस खेत के आस-पास खेती करने वाले किसान से यह सत्यापन करायेंगे कि उन्होंने सिंचाई किया है।
- किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अपने स्तर पर प्राप्त आवेदन का सत्यापन खेत में जाकर करेंगे। सत्यापन का कार्य सिंचाई के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक सत्यापित आवेदन पर डीजल

अनुदान के लिए अनुशंसित दर्ज करेंगे तथा सिंचाई की गई रकबा एवं कैशमेमो के अनुसार अनुशंसित राशि दर्ज करेंगे। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अपने स्तर पर एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें आवेदन को तिथि के अनुसार दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर में आवेदन की प्रगति भी अंकित की जायेगी।

- किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक के द्वारा माह के 15 तारीख से पूर्व प्राप्त आवेदन में से सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची माह के 15 तारीख को निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। 15 तारीख एवं 30 तारीख के बीच प्राप्त आवेदन के संदर्भ में 30 तारीख को सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। इस प्रकार किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक के द्वारा प्रत्येक माह में दो बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को समेकित सूची भेजी जायेगी। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अपने कार्य क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन (स्वीकृत एवं अस्वीकृत) को उक्त समेकित सूची के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देंगे।
- कृषि विभाग के द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की सीमा में राशि उपावंटित की जायेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक से प्राप्त सूची के अनुसार राशि की निकासी करेंगे। निकासी के पश्चात डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में डीजल अनुदान का वितरण किया जायेगा। वितरण निकासी के एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में RTGS/Account Payee Cheque के माध्यम से किया जायेगा। नगद भुगतान वर्जित किया जायेगा। इसकी सूचना अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सभी सदस्यों को दी जायेगी। पारदर्शिता के लिए प्रखंड/पंचायत के सूचना पट पर लाभुक किसानों की सूची प्रदर्शित की जायेगी।
- डीजल अनुदान मद में निकासी की गई राशि का वितरण पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

i. मुखिया	— अध्यक्ष
ii. सरपंच	— सदस्य
iii. पंचायत वार्ड के सदस्यगण	— सदस्य
iv. विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	— सदस्य
v. विगत चुनाव में सरपंच पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	— सदस्य
vi. पंचायत समिति के संबंधित सदस्य	— सदस्य
vii. संबंधित किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक	— सदस्य।
- नगर क्षेत्र के किसानों को डीजल अनुदान का भुगतान निम्न प्रकार से गठित डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

I. नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	— अध्यक्ष
II. नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य	— सदस्य
III. विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	— सदस्य
IV. नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी	— सदस्य
V. संबंधित किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक	— सदस्य।
- वितरण के पश्चात राशि एवं किसानों से संबंधित पूर्ण विवरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संधारित की जायेगी।
- यदि किन्हीं किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों का

15 दिनों के अंदर किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक के द्वारा जांच की जायेगी। जो किसान वांछित अर्हता रखते हैं उन्हें अनुदान का भुगतान अगले कैम्प में किया जायेगा।

15. अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखे जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में वैकल्पिक फसलों की खेती की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन स्थितियों में आपातकालीन कृषि योजना को लागू करने के लिए किसानों को उपयुक्त फसलों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने के मद में 24.2825 करोड़ रुपये के व्यय का आकलन किया गया है। आकस्मिक फसल योजना को लागू करने के लिए कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

16. धान के 3 सिंचाई, धान विचड़ा के 2 सिंचाई, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के 3 सिंचाई एवं आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर आगामी रबी फसल से भरपुर उत्पादन प्राप्त करने के लिए डीजल अनुदान की अवधि का विस्तार प्रशासी विभाग द्वारा योजना में स्वीकृत राशि के अधीन रबी 2016-17 में गेहूँ के 3 सिंचाई एवं अन्य रबी फसलों के 2 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 145.7175 करोड़ रुपये अधिकतम व्यय की आवश्यकता हो सकता है। इसी प्रकार आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकता है। कुल मिलाकर अधिकतम 170.00 करोड़ रुपये का व्यय हो सकता है। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

17. निकासी के लिए स्वीकृत 34.00 करोड़ (चौतीस करोड़) का व्यय मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना मांग संख्या-1, उपशीर्ष-0125-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड P2401007890125, विषय शीर्ष - 33 01 सब्सिडी में वर्ष 2016-17 में उपबंधित 34.00 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

18. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक: 12.07.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-12/2016 के पृ०सं०- 28/टि. पर प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-12/2016 के पृ०सं०- 31/टि. पर दिनांक- 18.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्र० सं०)
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-12/2016 3118 /क०, पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-12/2016 3118 /क०, पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

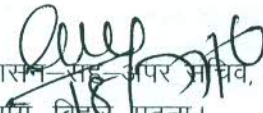
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— पी0पी0एम0—12 / 2016

3118

/कृ0, पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्रशासन—सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— पी0पी0एम0—12 / 2016

3118

/कृ0, पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्रशासन—सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



आवेदन फार्म
सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

डीजल का कैशमेमो
यहां चिपकायें।
यदि कैशमेमो आकार
में बड़ा हो तो पिन
लगाकर संलग्न करें।

1. पंचायत/नगर क्षेत्र..... 2. प्रखंड..... 3. जिला.....
4. किसान (आवेदक) का नाम.....
5. पिता/पति का नाम.....
6. पत्राचार का पता :

ग्राम..... पोस्ट..... थाना.....
दूरभाष/मोबाईल संख्या.....

7. कुल जोत का रकबा(एकड़ में)..... 8. बुआई की गई धान एवं मक्का के जोत का कुल रकबा.....
9. बैंक एवं शाखा का नाम जहाँ कृषक का खाता है 10. खाता संख्या.....
11. बैंक का आई० एफ० एस० सी०(IFSC) कोड
12. सिंचाई किए जाने वाले खेत की चौहद्दी :

उत्तर :..... दक्षिण :.....
पूरब :..... पश्चिम :.....

13. मैंने एकड़ खेत में सिंचाई के लिए लीटर डीजल (अधिकृत
विक्रेता/पेट्रोल पम्प का नाम) से क्रय किया है। अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कैशमेमो ऊपर निर्धारित स्थान पर
चिपकाया गया है/संलग्न किया गया है। मेरे द्वारा पटवर्न दिनांक..... से तक किया
गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही हैं। इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर मैं अनुदान की
राशि वापस कर दूँगा।

किसान (आवेदक) का पूरा नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि

किसानों के खेत के समीप के खेत में खेती करने वाले का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसान मेरे खेत के नजदीक वाले खेत में खेती करते हैं। इन्होंने आवेदन में
दर्शाये गये तिथि को सिंचाई किया है।

तिथि :...../...../.....

नजदीकी किसान का पूरा नाम, पता एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

नाम पिता/पति का नाम ग्राम पंचायत
..... में डीजल अनुदान हेतु दिनांक को आवेदन प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

नोट:-जो लागू नहीं हो उसे कृपया काट दें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में सिंचाई हेतु डीजल अनुदान/आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत राशि

(लाख रु०)

क्र०	कार्यान्वयन एजेंसी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6
	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	1894.03	485.65	48.57	2428.25
1	जिला पदाधिकारी, पटना	396.62	101.70	10.17	508.49
2	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	398.51	102.11	10.23	510.85
3	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	353.77	90.71	9.07	453.55
4	जिला पदाधिकारी, बक्सर	299.93	76.91	7.69	384.53
5	जिला पदाधिकारी, रोहतास	565.50	145.00	14.50	725.00
6	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	320.75	82.25	8.22	411.22
7	जिला पदाधिकारी, गया	425.12	109.01	10.90	545.03
8	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	146.57	37.58	3.76	187.91
9	जिला पदाधिकारी, अरवल	112.12	28.75	2.87	143.74
10	जिला पदाधिकारी, नवादा	246.12	63.11	6.31	315.54
11	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	431.21	110.57	11.06	552.84
12	जिला पदाधिकारी, सारण	387.83	99.45	9.94	497.22
13	जिला पदाधिकारी, सिवान	368.70	94.54	9.45	472.69
14	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	335.03	85.91	8.59	429.53
15	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	480.07	123.10	12.31	615.48
16	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	545.78	139.95	13.99	699.72
17	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण	418.59	107.33	10.73	536.65
18	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	282.86	72.53	7.25	362.64
19	जिला पदाधिकारी, शिवहर	75.00	19.23	1.92	96.15
20	जिला पदाधिकारी, वैशाली	251.98	64.61	6.46	323.05
21	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	305.89	78.43	7.84	392.16
22	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	416.01	106.67	10.67	533.35
23	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	346.50	88.85	8.88	444.23
24	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	282.77	72.51	7.25	362.53
25	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	123.92	31.77	3.18	158.87
26	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	128.65	32.99	3.30	164.94
27	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	93.37	23.94	2.39	119.70
28	जिला पदाधिकारी, जमुई	164.63	42.21	4.22	211.06
29	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	271.73	69.68	6.97	348.38
30	जिला पदाधिकारी, बांका	264.64	67.86	6.79	339.29
31	जिला पदाधिकारी, सहरसा	252.65	64.78	6.48	323.91
32	जिला पदाधिकारी, सुपौल	289.03	74.11	7.41	370.55
33	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	256.56	65.79	6.58	328.93
34	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया	342.30	87.77	8.78	438.85
35	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	223.46	57.30	5.73	286.49
36	जिला पदाधिकारी, अररिया	304.41	78.06	7.81	390.28
37	जिला पदाधिकारी, कटिहार	265.94	68.19	6.82	340.95
38	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	191.45	49.09	4.91	245.45
	कुल	13260.00	3400.00	340.00	17000.00

21/4

4/11/16